

# राजकीय इंजीनियरिंग कालेज बाँदा

Azadi Ka  
Amrit Mahotsav



(पूर्ववर्ती डा० भीमराव अम्बेडकर इंजीनियरिंग कालेज आफ इन्फारमेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, बाँदा)

Rajkiya Engineering College Banda

Atarra, Banda – 210201

E-Mail: director@recbanda.ac.in URL: www.recbanda.ac.in

Tel: +91 5191 254301

Mob: +91-8765089509



पत्राक: आर०इ०सी०/डी०एस०डब्ल्यू०/2024- 587

दिनांक २ सितम्बर, 2024

## सूचना

वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय व अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा निर्गत फ्रीशिप कार्ड के आधार पर निःशुल्क प्रवेश की सुविधा दी जायेगी। निःशुल्क प्रवेश एवं फ्रीशिप कार्ड के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है:

1. पात्र एवं सही डाटा वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा अनुमन्य होगी अतः संस्थान द्वारा विद्यार्थी से शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क एवं यूजर चार्ज शुल्क देय नहीं होगा (Fee Structure संलग्न)। इसके अतिरिक्त नवप्रवेशित विद्यार्थियों से Caution Money (Refundable) एवं छात्रावास की उपलब्धता पर छात्रावास शुल्क एवं मेस शुल्क तथा पूर्व से संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थियों से छात्रावास की उपलब्धता पर छात्रावास शुल्क एवं मेस शुल्क ही लिया जायेगा। विद्यार्थी द्वारा संस्था में प्रवेश लेते ही नियमावली में निर्धारित पात्रता में आने पर छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करेगा तथा आधार प्रमाणीकरण एवं ओ०टी०पी० से सत्यापन के उपरान्त आवेदन को फाइनल सबमिट करेगा। संस्था द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाइन अप्रसारित करते ही विद्यार्थी निःशुल्क प्रवेश हेतु पात्र हो जायेगा तथा उसे निर्धारित प्रारूप पर फ्रीशिप कार्ड छात्रवृत्ति पोर्टल से जनरेट हो जायेगा।
2. फ्रीशिप कार्ड की वैधता जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति स्तर से आवेदन निरस्त/पेंडिंग होने, पी०एफ०एम०एस० स्तर पर रिस्थापन पेंडिंग होने व पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से निरस्त होने पर, विद्यार्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र (हार्डकापी संलग्नकों सहित) संस्थान में उपलब्ध न कराने पर अथवा किसी स्तर पर अपात्र पाये जाने पर तथा विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/संदिग्ध विवरण भरने पर उक्त निःशुल्क प्रवेश की अनुमन्यता स्वतः सामाप्त हो जायेगी, ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम में शुल्क की धनराशि को विद्यार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
3. संस्थान में विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश हेतु फ्रीशिप कार्ड निर्धारित प्रारूप पर जनरेट होने के उपरान्त विभाग द्वारा छात्र के आधार सीट/एन०पी०सी०आई० से मैच खाते में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि ऑनलाइन अन्तरित होने पर संबंधित संस्था को विद्यार्थी द्वारा 07 दिन के भीतर शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि जमा करनी होगी।
4. विद्यार्थी का जो नाम हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित है, उसी नाम से आधार कार्ड अपडेट कराना अनिवार्य होगा और वही नाम छात्रवृत्ति रजिस्ट्रेशन फार्म में भरना अनिवार्य होगा।
5. संस्थान में विद्यार्थी को निःशुल्क प्रवेश मिलने के पश्चात विद्यार्थी व संस्थान के मध्य शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में अनुबन्ध पत्र (छायाप्रति संलग्न) निष्पादित किया जायेगा।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि

1. निदेशक महोदय को सूचनाार्थ।
2. अधिष्ठाता शैक्षणिक का आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. कुलसचिव।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी।
6. प्रभारी, ई०आर०पी० को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करे।
7. समस्त सूचनापट्ट।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

# राजकीय इंजीनियरिंग कालेज बाँदा

(पूर्ववर्ती डा० भीमराव अम्बेडकर इंजीनियरिंग कालेज आफ इन्फार्मेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, बाँदा)

Rajkiya Engineering College Banda

Atarra, Banda - 210201

E-Mail: director@recbanda.ac.in URL www.recbanda.ac.in

Tel: +91 5191 254301

Mob: +91 8765059509

दिनांक: 21/06/2024


पत्रांक-4731/लेखा/रा०इ०का०/2024-25


## FEE STRUCTURE SESSION 2024-2025


S.NO.	Fees Details	B.Tech. 1 <sup>st</sup> Year/lateral Entry	B. Tech. 2 <sup>nd</sup> /3 <sup>rd</sup> /4 <sup>th</sup> Year
<b>University Fees</b>			
1	University Exam fees*	7500	7500
<b>Institute Fees</b>			
2	Tuition Fees	40000	40000
3	Caution Money#	5000	-
4	User Charges	9300	8300
	<b>Total</b>	<b>54,300</b>	<b>48,300</b>
<b>Hostel Fees</b>			
	Hostel Fees	11000	11000

नोट -

- 1 प्रथम वर्ष/लेटरल इंट्री के छात्र-छात्राओं, जिन्होंने काउन्सलिंग के समय रू० 20,000/- या रू० 12,000/- जमा किया है उन्हें कुल निर्धारित फीस में से जमा धनराशि घटाते हुए शेष धनराशि [www.recbanda.ac.in](http://www.recbanda.ac.in) पर उपलब्ध रजिस्ट्रेशन लिंक पर जाकर ऑनलाइन के माध्यम से जमा कराये।
  - 2 छात्रावास शुल्क जमा करने वाले छात्र-छात्राओं को ही छात्रावास की सुविधा उपलब्ध होगी।
  - 3 मस शुल्क सम्बन्धित छात्रावास के बैंक खाते में ही जमा किया जायेगा।
  - 4 विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क रू० 7500/- छात्र-छात्राओं द्वारा स्वयं विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार ऑनलाइन जमा करना होगा विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क में विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।
- # पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर वापस की जाने वाली धनराशि।

  
(Accountant)

  
(F.& A. Officer)

  
(Director)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्र एवं संस्था के मध्य अनुबन्ध पत्र

( ₹१०-100/- के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर )

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक..... को (1)कु0/भीमती/भी..... जाति.....  
ग्राम/मु0..... तहसील..... जिला..... जिनसे एतत्पश्चात् प्रथम पक्ष कहा गया है

(2)..... (संस्थाध्यक्ष), पता..... जनपद..... (जहाँ छात्र/छात्र अध्ययनरत है) केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसे एतत्पश्चात् द्वितीय पक्ष कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दशमोत्तर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति संबंधी योजना संचालित है, जिसकी पात्रता संबंधी शर्तें आदि उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना नियमावली में उल्लिखित है। नियमावली के आलोक में दोनों पक्ष निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हैं :-

- 1- द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अपने शैक्षिक संस्थान में निःशुल्क प्रवेश उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली के अनुपालन में देगा।
- 2- प्रथम पक्ष, सन्दर्भित संस्था में निःशुल्क प्रवेश पाने पर निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त वांछित अभिलेखों सहित, संस्था में जमा करेगा एवं द्वितीय पक्ष द्वारा नामित अधिकारी प्रथम पक्ष को निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति रसीद देगा।
- 3- द्वितीय पक्ष उपर्युक्त नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम पक्ष की छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु वांछित कार्यवाही सम्पन्न करायेगा।
- 4- प्रथम पक्ष के आधार सीडेड बैंक खाते में नियमावली के अनुसार देय छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि जमा हो जाने पर प्रथम पक्ष विलम्बतन 07 दिन के अन्दर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय पक्ष के पक्ष में अन्तरित कर देगा।
- 5- प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशों का पालन करेगा।
- 6- प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों को छोड़कर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा अथवा वार्षिक परीक्षा जो भी हो, में प्रतिभाग करेगा।
- 7- उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्ष/संस्था को देय समस्त शुल्क वहन करने का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।

प्रथम पक्ष :

हस्ताक्षर.....  
नाम.....  
पिता/पति का नाम.....  
पता.....

साक्षी सं०-1

हस्ताक्षर.....  
नाम.....  
पिता/पति का नाम.....  
पता.....

द्वितीय पक्ष :

हस्ताक्षर.....  
नाम.....  
पिता/पति का नाम.....  
पता.....

साक्षी सं०-2

हस्ताक्षर.....  
नाम व पदनाम.....  
पिता/पति का नाम.....  
पता.....